रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 1998/फाल्गुन 19, 1919
No. 81] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 1998/PHALGUNA 19, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1998

सं. 02/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 129 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम 1944 के नियम 57 क के उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना-58/97-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण में, शब्द "अपने बैंक एकाउंट पर लिखे गए चैक के आधार पर" की जगह "अपने बैंक एकाउंट पर लिखे गए चैक के आधार पर या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के आधार पर" स्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. 345/40/97-टी. आर. यू.]

नवनीत गोयल, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 58/97-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1997 [सा. का. नि. 500(अ)], तारीख 30 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1998

No. 02/98-Central Excise

G. S. R. 129 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (6) of rule 57A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment

in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 58/97-Central Excise, dated the 30th August, 1997, namely :—

In the said notification, in the Explanation, for the words, "by cheque drawn on his own bank account", the words "by cheque drawn on his own bank account or by bank draft or by bankers' cheque." shall be substituted.

[F. No. 345/40/97-TRU]

NAVNEET GOEL, Under Secy.

NOTE : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 58/97-Central Excise, dated the 30th August, 1997 [G.S.R 500 (E), dated the 30th August, 1997]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1998

सं. 07/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 130 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1998 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(I) नियम 96 यण में,—

(अ) उपनियम (1) में "1 सितम्बर, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1998 के 31वें दिन तक की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि" शीर्षक के अधीन खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल रकम का संदाय 31 मार्च, 1998 तक करने में असफल रहता है तो वह,—

(i) बकाया रकम (अर्थात् वह रकम जिसका 31 मार्च, 1998 तक भुगतान नहीं किया गया) का 1 अप्रैल, 1998 से संपूर्ण बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया रकम पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संगणित ब्याज संदाय करने के लिए दायित्वाधीन होगा, और

(ii) 31 मार्च, 1998 को उस पर बकाया शुल्क की रकम के बराबर या पांच हजार रुपये, जो भी ज्यादा हो, के बराबर शास्ति का दायित्वाधीन होगा।"

(आ) उपनियम (1) में "II 1997-98 के अनुवर्ती वर्ष के लिए शुल्क देयता की कुल राशि" शीर्ष के अधीन खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल रकम का संदाय सुसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह,—

(i) बकाया रकम (अर्थात् वह रकम जिसका उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, तक भुगतान नहीं किया गया) का ठीक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से संपूर्ण बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया रकम पर अठारह प्रतिशत की दर पर संदाय करने के लिए दायित्वाधीन होगा और

(ii) सुसगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को उससे बकाया शुल्क की रकम के बराबर या पांच हजार रुपये जो भी ज्यादा हो, के बराबर शास्ति का दायित्वाधीन होगा।"

(इ) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) के उपबंधों के उल्लंघन में अमिश्रित इस्पात के पिंड और बिलेट को हटाता है तब ऐसे सभी माल अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे और विनिर्माता, ऐसी शास्ति के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसे उत्पाद-शुल्क मालों के जिनकी बाबत कोई उल्लंघन किया गया है, मूल्य के तीन गुना से अनधिक या पांच हजार रुपए, इसमें जो भी अधिक हो।"

(ई) उपनियम (3) में, तीसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां कोई विनिर्माता किसी मास के लिए संदेय सम्पूर्ण रकम का संदाय प्रत्येक मास की 15 तारीख या अन्तिम दिन तक करने में असफल रहता है, तो वह,—

(i) बकाया रकम (अर्थात वह रकम जिसका 31 मार्च 1998 तक भुगतान नहीं किया गया)का यथास्थिति, प्रत्येक मास की 16 तारीख से या आगामी मास की 1 तारीख से सम्पूर्ण बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, उस पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर, संगणित ब्याज सहित संदाय करने के; और

(ii) मास के अन्त में, उस पर बकाया शुल्क की रकम के बराबर या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, शास्ति का दायित्वाधीन होगा।"

(II) नियम 96 जड में,

(अ) उपनियम (I) में, " 1 सितम्बर, 1997 के प्रथम दिन से मार्च, 1998 के इकत्तीसवें दिन की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि" शीर्षक के अधीन खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल रकम का 31 मार्च, 1998 तक संदाय करने में असफल रखता है तो वह,

(i) बकाया रकम का, 1 अप्रैल, 1998 से संपूर्ण बकाया रकम अर्थात वह रकम जिसका 31 मार्च, 1998 तक भुगतान नहीं किया गया के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, बकाया रकम पर, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर, संगणित ब्याज सहित संदाय करने के, और

(ii) उस बकाया रकम के बराबर या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, शास्ति का दायित्व होगा। "दातित्वाधीन होगा।"

(आ) उपनियम (1) में "II 1997-98 के अनुवर्ती किसी वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क देयता की कुल राशि" शीर्षक के अधीन खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल रकम का संदाय सुसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह,—

(i) बकाया रकम (अर्थात् वह रकम जिसका उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, तक भुगतान नहीं किया गया) का अगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से संपूर्ण बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, उस पर अठारह प्रतिशत की दर से संगणित ब्याज सहित संदाय करने के, और

(ii) उस बकाया शुल्क की रकम के बराबर या पांच हजार रुपये जो भी अधिक हो, शास्ति का दायित्वाधीन होगा।"

(इ) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) के उपबंधों के उल्लंघन में अमिश्रित इस्पात के होट री रोल्ड उत्पाद हटाता है तब ऐसे सभी माल अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे और विनिर्माता, ऐसी शास्ति के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसे उत्पाद-शुल्क मालों के जिनकी बाबत कोई उल्लंघन किया गया है, मूल्य के तीन गुना से अनधिक या पांच हजार रुपए, इन में से जो भी अधिक हो।"

(ई) उपनियम (3) में, तीसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां कोई विनिर्माता किसी मास के लिए संदेय सम्पूर्ण रकम का संदाय प्रत्येक मास की दस तारीख तक करने में असफल रहता है, तो वह,—

(i) बकाया रकम का प्रत्येक का मास की ग्यारह तारीख से सम्पूर्ण बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, बकाया रकम पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर, संगणित ब्याज सहित संदाय करने के, लिए दायित्वाधीन होगा और

(ii) उस पर बकाया शुल्क की रकम के बराबर या पांच हजार रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो शास्ति का दायित्वाधीन होगा।"

[फा. सं. 345/40/97-टी. आर. यू.]

नवनीत गोयल, अवर सचिव

टिप्पणी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम 1944 का आखिरी संशोधन अधिसूचना सं० 6/98 के.-उ. शु. (नी टै) तारीख 2 मार्च, 1998 [सा. का. नि. 106 (अ)], तारीख 2 मार्च, 1998 को किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1998

No. 07/98-Central Excise (N. T.)

G. S. R. 130 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Acts, 1944 (1 of 1944), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1998.
   (2) They shall come into force on the first day of April, 1998.
2. In the Central Excise Rules, 1944,—
   (i) in rule 96ZO,—

(A) in sub-rule (1),—

(a) under the heading "I. Total amount of duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to the 31st day of March, 1998", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, 1998, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duty (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st day of March, 1998) alongwith interest at the rate of eighteen per cent per annum on the outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment of the outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.";

(b) under the heading "II. Total amount of duty liability for a financial year subsequent to 1997-98", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, of the relevant financial year, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duty (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st day of March of the relevant financial year alongwith interest at the rate of eighteen per cent, per annum on such outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April of the immediately succeeding financial year till the date actual payment of the whole of outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.";

(B) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1A) If any manufacturer removes any of the non alloy steel ingots and billets specified in sub-rule (1) without complying with the requirements of the provisions of that sub-rule, then all such goods shall be liable to confiscation and the manufacturer shall be liable to a penalty not exceeding three times the value of such goods, or five thousand rupees, whichever is greater.";

(C) in sub-rule (3), for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided also that where a manufacturer fails to pay the whole of the amount payable for any month by the 15th day or the last day of such month, as the case may be, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duly alongwith interest thereon at the rate of eighteen per cent per annum, calculated for the period from the 16th day of such month or the 1st day of next month, as the case may be, till the date of actual payment of the outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.";

(iii) in rule 96ZP,—

(A) in sub-rule (1),—

(a) under the heading "I. Total amount of duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to the 31st day of March, 1998", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, 1998, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duty (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st day of March, 1998) alongwith interest at the rate of eighteen per cent. per annum on such outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment of the outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.";

(b) under the Heading "II. Total amount of duty liability for a financial year subsequent to 1997-98", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, of the relevant financial year, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duty (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st

day of March of the relevant financial year alongwith interest thereon at the rate of eigheen percent per annum on such outstanding amount, calculated for the period from the 1st day of April of the immediately succeeding financial year till the date of actual payment of the whole of outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.";

(B) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1A) If any manufacturer removes any of the non-alloy steel hot re-rolled products specified in sub-rule (1) without complying with the requirements of that sub rule, then all such goods shall be liable to confiscation and the manufacturer shall be liable to a penalty not exceeding three times the value of such goods, or five thousand rupees, whichever is greater.";

(C) in sub-rule (3), for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely ;—

"Provided also that where a manufacturer fails to pay the whole of the amount payable for any month by the 10th day of such month, he shall be liable to,—

(i) pay the outstanding amount of duty alongwith interest thereon at the rate of eighteen per cent. per annum, calculated for the period from the 11th day of such month till the date of actual of the outstanding amount; and

(ii) a penalty equal to such outstanding amount of duty or five thousand rupees, whichever is greater.".

[F. No. 345/40/97-TRU]
NAVNEET GOEL, Under Secy.

NOTE:—The Central Excise Rules, 1944, were last amended vide Notification No. 6/98-Central Excise (N.T.) dated the 2nd March, 1998 [G.S.R. 106(E) dated the 2nd March, 1998].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1998

सं. 5/98-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 131 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधिसूचना-सं०11/97-सीमा शुल्क, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) सारणी में,क्र. सं० 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जायेगी अर्थात्,—

1	2	3	4	5	6
"154क	84 या कोई अन्य अध्याय	विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन की जाने वाली पैट्रोलियम संक्रियाओं के संबंध में अपेक्षित सूची 12 में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	36क";

(2) उपाबद्ध में, शर्त सं. 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

शर्त सं.	शर्त
36	यदि,

(क) माल का आयात, भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियां, भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियां अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संकाय (जिन्हें इसके पश्चात्, "कंट्रैक्टर" कहा जाएगा) अथवा ऐसी कंपनी या कंपनियों या संकाय के "सब-कंट्रैक्टर" से की गई संविदा के अधीन की जाने वाली पैट्रोलियम संक्रियाओं के संबंध में किया जाता है।

(ख) जहां आयातकर्ता कंट्रैक्टर है, आयात के समय, सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात्

(1) (i) भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी समयक रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि आयातित माल खंड अ में चर्चित पैट्रोलियम संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है और

692 GI/98-2

इसका आयात पूर्वोक्त संविदा के अधीन किया गया है,

(ii) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संकाय द्वारा की गयी संविदा की दशा में, एक प्रमाण पत्र, कि विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किये गये ऐसे माल के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है;

(ग) जहां आयातकर्ता सब-कंट्रैक्टर है, आयात के समय, सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् :—

(i) भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी समयक रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि आयातित माल खंड अ में चर्चित पेट्रोलियम संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है और इसका आयात उस खंड में चर्चित संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे सब कंट्रैक्टर का नाम शामिल है,

(ii) एक शपथ पत्र कि वह कंट्रैक्टर का वास्तविक सब-कंट्रैक्टर है,

(iii) कंट्रैक्टर का इस आशय का एक वचनबंध जिसमें इस अधिसूचना की किसी भी शर्त का कंट्रैक्टर या सब-कंट्रैक्टर द्वारा, जैसे कि मामला हो, पालन नहीं करने पर, संदेय शुल्क, जुर्माना अथवा दंड का भुगतान करने को बाध्य है,

(iv) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों कि किसी संकाय द्वारा की गयी संविदा की दशा में एक प्रमाण पत्र कि विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किये गये ऐसे माले के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है।

परन्तु इस उप खंड की कोई बात उस सब-कंट्रैक्टर पर लागू नहीं होगी, जो कि भारतीय कंपनी या कंपनियां हैं।

"36 क यदि,

(क) माल का आयात, भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियां, भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियां अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संकाय (जिन्हें इसके पश्चात्, "कंट्रैक्टर" कहा जाएगा) अथवा ऐसी कंपनी या कंपनियों या संकाय के "सब-कंट्रैक्टर" से नई खोज तथा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, 1 अप्रैल 1998 या उसके पश्चात् की गई संविदा के अधीन की जाने वाली पैट्रोलियम संक्रियाओं के संबंध में किया जाता है,

(ख) जहां आयातकर्ता कंट्रैक्टर है, आयात के समय, सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात्

(i) भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी समयक रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि आयातित माल ऐसे पैट्रोलियम संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है और इसका आयात नई खोज तथा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत संविदा के अधीन किया गया है,

(ii) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संकाय द्वारा की गयी संविदा की दशा में, एक प्रमाण पत्र, कि विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किये गये ऐसे माल के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है;

(ग) जहां आयातकर्ता सब-कंट्रेक्टर है, आयात के समय, सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् :—

(i) भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी समयक रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि आयातित माल खंड अ में चर्चित पेट्रोलियम संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है और इसका आयात उस नई खोज तथा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे सब कंट्रैक्टर का नाम शामिल है,

(ii) एक शपथ पत्र कि वह कंट्रैक्टर का वास्तविक सब-कंट्रैक्टर है,

(iii) कंट्रैक्टर का इस आशय का एक वचनबंध जिसमें इस अधिसूचना की किसी भी शर्त का कंट्रैक्टर या सब-कंट्रैक्टर द्वारा, जैसे कि मामला हो, पालन नहीं करने पर, संदेय शुल्क, जुर्माना अथवा दंड का भुगतान करने को बाध्य है, और

(iv) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों अथवा भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों तथा किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों कि किसी संकाय द्वारा की गयी संविदा की दशा में एक प्रमाण पत्र कि विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किये गये ऐसे माले के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है।

परन्तु इस उप खंड की कोई बात उस सब-कंट्रैक्टर पर लागू नहीं होगी, जो कि भारतीय कंपनी या कंपनियां हैं।

(3) सूची 12 में, "(सारणी क्रम सं. 154 देखिये), ब्रैकेट, शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर, "(सारणी क्रम सं. 154 तथा 154 अ देखिये)" ब्रैकेट, शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे।

[फा. सं. 341/70/97-टी. आर. यू.]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 11/97-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 1997 [सा. का. नि. 98(अ), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/98-सीमाशुल्क, तारीख 11 फरवरी, 1998 [सा. का. नि. 74(अ), तारीख 11 फरवरी, 1998] द्वारा संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1998

No. 05/98-CUSTOMS

G. S. R. 131 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/97-Customs dated the 1st March, 1997, namely :—

In the said notification,—

(1) In the TABLE, after S. No. 154 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"154A	84 or any other chapter	Goods specified in List 12 required in connection with petroleum operations undertaken under specified contracts	Nil	Nil	36A";

(2) In the ANNEXURE, for condition No. 36 and the entries relating thereto, the following condition Nos. and entries shall be substituted, namely :—

	Condition No.	Conditions
"36	If,—	
	(a)	the goods are imported by an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of such Company or Companies or consortium and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under a contract with the Government of India;
	(b)	where the importer is a contractor, he produces to the Assistant Commissioner of Customs, at the time of importation, the following namely :—
		(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the imported goods are required for petroleum operations referred to in clause(a) and have been imported under the contract referred to in that clause; and
		(ii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the imports of such goods undertaken by such Foreign Company or Companies;
	(c)	where the importer is a sub-contractor, he produces to the Assistant Commissioner of Customs, at the time of importation, the following, namely :—
		(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the imported goods are required for petroleum operations referred to in clause (a) and have been imported under the contract referred to in that clause and containing, the name of such sub-contractor,

(ii) an affidavit to the effect that such sub-contractor is a bonafide sub-contractor of a contractor,

(iii) an undertaking from such; contractor, binding him to pay any duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this notification are not complied with, by such sub-contractor or contractor, as the case may be; and

(iv) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no Foreign exchange remittance is made for the import of such goods undertaken by the sub-contractor on behalf of the Foreign Company or Companies;

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such sub-contractor is an Indian Company or Companies.

36A If,—

(a) the goods are imported by an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of such Company or Companies or such consortium and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under a contract signed with the Government of India, on or after the 1st day of April, 1998, under the New Exploration Licensing Policy;

(b) where the importer is a contractor, he produces to the Assistant Commissioner of Customs, at the time of importation, the following namely :—

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the imported goods are required for such petroleum operations and have been imported under the contract signed under the New Exploration Licensing Policy; and

(ii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the imports of such goods undertaken by the Foreign Company or Companies;

(c) where the importer is a sub-contractor, he produces to the Assistant Commissioner of Customs, at the time of importation, the following, namely;—

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the imported goods are required for petroleum operations referred to in clause (a) and have been imported under the contract referred to in that clause and containing, the name of such sub-contractor,

(ii) an affidavit to the effect that such sub contractor is a bona-fide sub-contractor of a contractor,

(iii) an undertaking from such; contractor, binding him to pay any duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this notification are not complied with, by such sub-contractor or contractor, as the case may be; and

(iv) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or the Government of India and a consortium of an Indian Company of Companies and a Foreign Company or Companies, that no Foreign exchange remittance is made for the import of such goods undertaken by the sub-contractor on behalf of the Foreign Company or Companies;

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such sub-contractor is an Indian Company or Companies.

(3) in LIST 12, in the heading, for the brackets, words, letters, and figures "(See S. No. 154 of the Table)", the brackets, words, letters, and figures "(See S. Nos. 154 and 154A of the Table)" shall be substituted.

[F. No. 341/70/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

NOTE : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 11/97-Customs, dated the 1st March, 1997 [G.S.R 98 (E), dated the 1st March, 1997] and was last amended by notification No 3/98-Customs, dated the 11th February, 1998 [G.S.R. 74(E), dated the 11th Febru ary, 1998].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998